भारत सरकार

महिला एवं बाल विकास मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 3119

दिनांक 09 अगस्त, 2024 को उत्तर के लिए

गर्भवती महिलाओं के लिए योजनाएं

3119. श्री दर्शन सिंह चौधरीः

क्या **महिला और बाल विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगी किः

(क) गर्भवती महिलाओं के लिए सरकार द्वारा चलाई जा रही उन योजनाओं का ब्यौरा क्या है जिनसे उन्हें प्रत्यक्ष लाभ मिल रहा है;

(ख) क्या शिशु मृत्यु दर को कम करने के लिए सरकार द्वारा कोई योजना चलाई जा रही है;

(ग) यदि हां, तो शिशुओं के जन्म के दौरान अथवा छह माह की आयु तक की उन्हें मृत्यु से बचाने के लिए योजनाओं का ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या गर्भवती महिलाओं के समुचित उपचार के लिए सरकार द्वारा कोई सर्वेक्षण या आंकड़े उपलब्ध कराए जाते हैं क्योंकि प्रसव के दौरान महिलाओं की मृत्यु दर भी गंभीर चिंता का विषय है;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और जिला और तहसील स्तर पर उनके समुचित उपचार के लिए क्या व्यवस्था की गई है; और

(च) क्या सरकार द्वारा इस संबंध में किसी योजना का प्रस्ताव किया गया है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

महिला एवं बाल विकास मंत्री

(श्रीमती अन्नपूर्णा देवी)

(क): प्रधानमंत्री मातृ वंदन योजना (पीएमएमवीवाई) एक केंद्र प्रायोजित मातृत्व लाभ योजना है जिसके अंतर्गत पहले बच्चे के लिए लाभार्थी के बैंक/डाकघर खाते में प्रत्यक्ष लाभ अंतरण (डीबीटी) मोड में सीधे 5,000/- रु. की नकद प्रोत्साहन राशि प्रदान की जाती है। पात्र लाभार्थियों को संस्थागत प्रसव के बाद जननी सुरक्षा योजना के तहत मातृत्व लाभ के लिए स्वीकृत मानदंडों के अनुसार शेष नकद प्रोत्साहन मिलता है जिससे एक महिला को औसतन 6,000/- रु. मिलते हैं। पीएमएमवीवाई के तहत पात्र लाभार्थियों को दूसरे बच्चे के लिए भी 6,000/- रु. की नकद प्रोत्साहन राशि प्रदान की जाती है बशर्ते कि दूसरा बच्चा बालिका हो। पीएमएमवीवाई का

लक्षित समूह समाज के सामाजिक और आर्थिक रूप से वंचित वर्ग की गर्भवती महिलाएं और स्तनपान कराने वाली माताएं हैं।

इसके अलावा, सक्षम आंगनवाड़ी और पोषण 2.0 के तहत आंगनवाड़ी सेवाओं में गर्भवती महिलाओं तथा स्तनपान कराने वाली माताओं को निम्नलिखित सेवाएं प्रदान की जाती हैं:

(i) पूरक पोषण
(ii) पोषण एवं स्वास्थ्य शिक्षा
(iii) टीकाकरण
(iv) स्वास्थ्य जांच
(v) रेफरल सेवाएं

ये सेवाएं देश भर के आंगनवाड़ी केंद्रों के मंच के माध्यम से प्रदान की जाती हैं। उल्लेखनीय है कि इनमें से तीन सेवाएं - टीकाकरण, स्वास्थ्य जांच तथा रेफरल सेवाएं- स्वास्थ्य संबंधी हैं और राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन (एनएचएम) तथा सार्वजनिक स्वास्थ्य अवसंरचना के सहयोग से प्रदान की जाती हैं।

पीएमएमवीवाई तथा आंगनवाड़ी सेवाओं के अलावा, एनएचएम के तहत भारत सरकार का स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में सभी गर्भवती महिलाओं के लिए निम्नलिखित मातृ स्वास्थ्य योजनाएं कार्यान्वित करके उन्हें सीधे लाभान्वित कर रहा है;

- **जननी सुरक्षा योजना (जेएसवाई),** संस्थागत प्रसव को बढ़ावा देने के लिए मांग संवर्धन और सशर्त नकद अंतरण योजना।
- **जननी शिशु सुरक्षा कार्यक्रम (जेएसएसके)** प्रत्येक गर्भवती महिला को सार्वजनिक स्वास्थ्य संस्थानों में सीजेरियन सहित मुफ्त प्रसव का अधिकार देता है, साथ ही मुफ्त परिवहन, निदान, दवाएं, रक्त, अन्य उपभोग्य वस्तुओं तथा आहार का प्रावधान भी करता है।
- **प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान (पीएमएसएमए)** में हर महीने की 9 तारीख को गर्भवती महिलाओं को एक विशेषज्ञ/चिकित्सा अधिकारी द्वारा एक निश्चित दिन को मुफ्त सुनिश्चित और गुणवत्तापूर्ण प्रसवपूर्व जांच प्रदान की जाती है। **विस्तारित पीएमएसएमए** कार्यनीति में गर्भवती महिलाओं, विशेष रूप से उच्च जोखिम वाली गर्भवती (एचआरपी) महिलाओं की गुणवत्तापूर्ण प्रसवपूर्व देखभाल (एएनसी) सुनिश्चित की जाती है और पहचान की गई उच्च जोखिम वाली गर्भवती महिलाओं के लिए वित्तीय प्रोत्साहन के माध्यम से सुरक्षित प्रसव होने तक व्यक्तिगत एचआरपी की ट्रैकिंग की जाती है और पीएमएसएमए दौरे के अलावा अतिरिक्त 3 दौरों के लिए आशा के साथ जाती है।
- **लक्ष्य** प्रसव कक्ष और प्रसूति ऑपरेशन थिएटर में देखभाल की गुणवत्ता में सुधार करता है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि गर्भवती महिलाओं को प्रसव के दौरान और प्रसव के तुरंत बाद सम्मानजनक और गुणवत्तापूर्ण देखभाल मिले।

- **सुरक्षित मातृत्व आश्वासन (सुमन)** में सार्वजनिक स्वास्थ्य सुविधाओं में आने वाली प्रत्येक महिला और नवजात शिशु को नि:शुल्क, सम्मानजनक, आदरपूर्ण और गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवा प्रदान की जाती है तथा सभी निवारण की जा सकने वाली मातृ एवं नवजात मृत्यु को समाप्त करने के लिए सेवाओं से इनकार करने के प्रति शून्य सहिष्णुता बरती जाती है।
- प्रसव के बाद देखभाल को बढ़ाने का उद्देश्य माताओं में खतरे के लक्षणों का पता लगाने और ऐसी उच्च जोखिम वाली प्रसवोत्तर माताओं की शीघ्र पहचान, रेफरल और उपचार के लिए आशा कार्यकर्ताओं को प्रोत्साहित करने पर जोर देकर **प्रसव के बाद देखभाल की गुणवत्ता को बेहतर करना** है।

(ख) और (ग): स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय (एमओएचएफडब्ल्यू) राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा प्रस्तुत वार्षिक कार्यक्रम कार्यान्वयन योजना (एपीआईपी) के आधार पर राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन (एनएचएम) के तहत प्रजनन, मातृ, नवजात, शिशु, किशोर स्वास्थ्य और पोषण (आरएमएनसीएएच+एन) कार्यनीति के कार्यान्वयन में सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को सहायता प्रदान करता है। बाल रुग्णता और मृत्यु दर को कम करने के लिए सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में सार्वभौमिक रूप से सभी कार्यकलाप कार्यान्वित किए जा रहे हैं। कार्यकलापों का विवरण इस प्रकार है:

- मेडिकल कॉलेज और जिला/उप-जिला स्तर पर नवजात शिशु गहन देखभाल इकाइयां (एनआईसीयू)/विशेष नवजात शिशु देखभाल इकाइयां (एसएनसीयू) स्थापित की जाती हैं, बीमार तथा छोटे बच्चों की देखभाल के लिए प्रथम रेफरल इकाइयों (एफआरयू)/सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों (सीएचसी) में नवजात शिशु स्थिरीकरण इकाइयां (एनबीएसयू) स्थापित की जाती हैं।
- गृह आधारित नवजात शिशु देखभाल (एचबीएनसी) तथा गृह आधारित छोटे बच्चों की देखभाल (एचबीवाईसी) कार्यक्रम के तहत आशा कार्यकर्त्रियों द्वारा बच्चों के पालन-पोषण के तरीकों को बेहतर बनाने और समुदाय में बीमार नवजात और छोटे बच्चों की पहचान करने के लिए घरों के दौरे किए जाते हैं।
- माताओं का पूर्ण स्नेह (एमएए) के तहत पहले छह महीनों के लिए प्रारंभिक शुरुआत और केवल स्तनपान तथा शिशु और युवा बच्चे की उचित आहार (आईवाईसीएफ) पद्धतियों को बढ़ावा दिया जाता है।
- निमोनिया के कारण होने वाली बाल रुग्णता और मृत्यु दर में कमी लाने के लिए 2019 से सामाजिक जागरूकता और निमोनिया को सफलतापूर्वक बेअसर करने की कार्रवाई (एसएएएनएस) पहल शुरू की गई है।
- ओआरएस तथा जिंक के उपयोग को बढ़ावा देने और 5 वर्ष से कम आयु के बच्चों की डायरिया से होने वाली मौतों को कम करने के लिए डायरिया रोको अभियान शुरू किया गया है।

- बच्चों को जानलेवा बीमारियों से बचाने के लिए टीकाकरण प्रदान करने के लिए सार्वभौमिक टीकाकरण कार्यक्रम (यूआईपी) कार्यान्वित किया गया है।
- बाल जीवन दर में सुधार लाने के लिए राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम (आरबीएसके) के तहत 0 से 18 वर्ष की आयु के बच्चों की 32 स्वास्थ्य स्थितियों (यानी रोग, कमी, दोष और विकासात्मक देरी) के लिए जांच की जाती है। आरबीएसके के तहत जांचे गए बच्चों की पुष्टि और प्रबंधन के लिए जिला स्वास्थ्य सुविधा स्तर पर जिला प्रारंभिक हस्तक्षेप केंद्र (डीईआईसी) स्थापित किए गए हैं।
- चिकित्सा जटिलताओं के साथ भर्ती गंभीर तीव्र कुपोषण (एसएएम) वाले बच्चों के उपचार और प्रबंधन के लिए सार्वजनिक स्वास्थ्य सुविधाओं पर पोषण पुनर्वास केंद्र (एनआरसी) स्थापित किए जाते हैं।
- पोषण अभियान के एक भाग के रूप में एनीमिया मुक्त भारत (एएमबी) कार्यनीति का उद्देश्य मौजूदा तंत्र को मजबूत करना और एनीमिया से निपटने के लिए नई कार्यनीतियों को बढ़ावा देना है।
- बाल जीवन और स्वास्थ्य परिणामों में सुधार लाने के उद्देश्य से स्वास्थ्य देखभाल प्रदाताओं के लिए कई क्षमता निर्माण कार्यक्रम शुरू किए गए हैं। इनमें वर्ष 2023 में जारी किए गए और हाल ही में अपडेट किए गए पैकेज शामिल हैं:
  - नवजात और बाल्यावस्था बीमारी के सुविधा आधारित एकीकृत प्रबंधन (एफ-आईएमएनसीआई) तथा नवजात और बाल्यावस्था बीमारी के एकीकृत प्रबंधन (आईएमएनसीआई) का संशोधित प्रशिक्षण पैकेज
  - सुविधा आधारित नवजात देखभाल (एफबीएनसी) का संशोधित प्रशिक्षण पैकेज

(घ) से (च): लगभग 46% मातृ मृत्यु प्रसव के दिन होती है। मातृ मृत्यु दर को रोकने के लिए, एनएचएम के तहत भारत सरकार प्रसूति कक्ष/ऑपरेशन थियेटर में तैनात सेवा प्रदाताओं को प्रशिक्षित करने के लिए विभिन्न क्षमता निर्माण कार्यक्रम कार्यान्वित कर रही है जैसे कुशल जन्म परिचारिका (एसबीए), दक्ष, दक्षता, बुनियादी आपातकालीन प्रसूति और नवजात शिशु देखभाल (बीईएमओएनसी), व्यापक आपातकालीन प्रसूति तथा नवजात शिशु देखभाल (सीईएमओएनसी), जीवन रक्षक एनेस्थीसिया कौशल (एलएसएएस) और मिडवाइफरी पहल। इन कार्यक्रमों का उद्देश्य जिला तथा तहसील स्तर सहित सभी स्वास्थ्य सुविधाओं पर प्रसव के दौरान सभी गर्भवती महिलाओं के प्रबंधन के लिए गुणवत्तापूर्ण और समय पर पहल सुनिश्चित करना है।

*****